

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग
क्रमांक: एफ.1(37)परि/स्था/2008/ 52001

जयपुर, दिनांक:- 16/03/2024

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 को संपन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को वरिष्ठ सहायक (लेवल इन पे मैट्रिक-एल-08) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

पदोन्नति वर्ष 2023-24

क्र.स.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की तिथि
1.	श्री सतपाल मीणा	अ.ज.जा.	10.02.1986	01.04.2023
2.	श्री निर्भीक माथुर	अनारक्षित.	05.03.1994	01.04.2023
3.	श्री लक्ष्यराज सिंह	अनारक्षित	15.01.2000	01.04.2023
4.	श्री आनन्दराज	अनारक्षित	27.01.1970	01.04.2023
5.	श्री महिपाल सिंह	अनारक्षित	09.02.1982	01.04.2023
6.	श्रीमती विमला देवी	अ.जा	01.04.1974	01.04.2023
7.	श्रीमती बीना मरोडिया	अ.जा	29.06.1978	01.04.2023
8.	श्री विक्रम स्वामी	अनारक्षित	18.06.1994	01.04.2023
9.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	अनारक्षित	10.07.1997	01.04.2023
10.	श्री प्रभात कुमार शर्मा	अनारक्षित	02.02.1993	01.04.2023
11.	श्री सुरेश	अनारक्षित	03.05.1992	01.04.2023
12.	श्री अरविन्द कुमार बैरवा	अ.जा	11.07.1993	01.04.2023
13.	श्री कमलेश कुमार मीणा	अ.ज.जा	08.09.1997	01.04.2023

श्री हरिमोहन सैनी को सीसीए 16 में जारी ज्ञापन दिनांक 28.04.2003 की जांच में विभाग के आदेश दिनांक 27.08.2018 द्वारा 3 वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः इस वर्ष 2023-24 में प्रथम बार पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया।

श्री सतपाल मीणा के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् की संतानोत्पत्ति से जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाने के कारण तीन भर्ती वर्षों तक पदोन्नति की पात्र नहीं थे। अतः वर्ष 2021-22, 2022-23 में प्रथम, द्वितीय बार पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के प्रावधान के तहत जिन कार्मिकों की पदोन्नति पर

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर 5/3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया गया था, उन्हें अब नियत तिथि से पदोन्नति दी जायेगी। ऐसे कार्मिकों का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना के निर्देशों के तहत होगा।

श्री राजीव कुमार के वर्ष 2018-19, 2019-20 पार्ट एवं 2020-21 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने एवं इनको सीसीए 17 में ज्ञापन दिनांक 16.03.2021 जारी, जांच विचाराधीन के कारण समिति द्वारा इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया, इनके पदोन्नति प्रकरण को डैफर किये जाने एवं इनके लिए 01 पद रिक्त रखे जाने की सिफारिश की जाती है। है।

श्री भंवर सिंह पुत्र कजोड. सिंह को कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति नियम संगत नहीं होने के कारण समिति द्वारा इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया।

1. श्री सरफराज अहमद के वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21(05), 2. श्री अंकुर कुमार के वर्ष 2017-18, 2018-19, 2020-21 पार्ट (03), 3. श्री लीलाधर गुप्ता के वर्ष 2021-22(01), 4. श्री भरत सिंह भाटी के वर्ष 2018-19, 2022-23 पार्ट (02), 5. श्री कमलेश कुमार मीणा के वर्ष 2022-23(01), 6. श्री विष्णु कुमार सोनी के वर्ष 2022-23(01), 7. श्री अमित तनवानी के वर्ष 2020-21(01), 8. श्री सुरेन्द्र कुमार भादु के वर्ष 2022-23(01), 9. श्री विनोद कुमार, अ.जा. के वर्ष 2020-21, 2022-23 पार्ट (02), 10. श्री जगत सिंह, अ.जा. के वर्ष 2020-21(01), 11. श्री ऋतुराज वर्मा, अ.जा. के वर्ष 2020-21, 2021-22 पार्ट (02), 12. श्री संदीप कुमार, अ.जा. के वर्ष 2020-21(01), 13. श्री जितेन्द्र परिहार, अ.जा. के वर्ष 2021-22(01), 14. श्री मनीष कुमार मीणा, अ.ज.जा. के वर्ष 2020-21, 2022-23(02), 15. श्री राजेन्द्र मीणा, अ.ज.जा. के वर्ष 2020-21(01), 16. श्री रविन्द्र कुमार मीणा, अ.ज.जा. के वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23(03), 17. श्री योगेश कुमार पारगी, अ.ज.जा. के वर्ष 2021-22, 2022-23 पार्ट (02), 18. राहुल सिंह गौड के वर्ष 2022-23(01), के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण समिति द्वारा इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया, इनके पदोन्नति प्रकरण को डैफर किये जाने एवं इनके लिए 01-01 पद रिक्त रखे जाने की सिफारिश की जाती है। श्री लीलाधर गुप्ता, श्री भरत सिंह भाटी, श्री विष्णु कुमार सोनी, श्री विनोद कुमार, अ.जा., श्री योगेश कुमार पारगी, अ.ज.जा. की संतान एवं अचल सम्पत्ति घोषणा भी अप्राप्त है।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक अविलम्ब अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नवीन पद पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवायें। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

उक्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी संख्या 29601/2018 में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

४२

(गोपाल सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
6. नोडल अधिकारी वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक श्री।
9. संबंधित श्री/श्रीमती.....सूचना सहायक को राजकाज में आदिनांक करने हेतु।
10. निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

11

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)